न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 82 सन 2022
अनवान :–

1. सुमनबाला पुत्र विनोद कुमार जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
2. अधिशाषी अधिकारी सिचाई विभाग नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 26/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 291/39 की कुल 0.5320हैक आवासीय भूमि वादीया सुमन बाला पत्नी विनोद कुमार के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि के प0न0 381/444(82) के किला न0 13/1 की 0.0620हैक आवासीय 18/1 की कुल 0.2280हैक आवासीय , 18/2 की 0.0250हैक गै0मु0खाला किला न0 23/1 की 0. 2280हैक आवासीय 23/2 की 0.0250हैक गै0मु0खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है इसप्रकार उक्त आवासीय रूपान्तरित भूमि में किला न0 18/2 व 23/2 में पश्चित की तरफ गै0मु0 खाला दर्ज है।

नये चक प्लान के अनुसार किला न0 23 मिन दक्षिण में से होकर खाला गुजरता है तथा किला न0 18/2 की भूमि में कोई खाला नही है चकप्लान में किला न0 18/2 में खाला का परिर्वतन किया जा चुका है वर्तमान में वादी की भूमि में से किला न0 23/2 दक्षिण की तरफ खाला चल रहा है।

रिवाईज्ड चक प्लान के अनुसार रोही मोजा चक 16 डीपीएन के प0न0 381/444(82) किला न0 18/2 में कोई खाला वर्तमान में नही चल रहा है एव किला न0 23/2 पश्चिम दिशा में खाला दर्ज है जबकि वर्तमान में किला न0 23/2 की दक्षिण दिशा में खाला चल रहा है किन्तु मौका के अनुसार खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिससे वादी के हको का हनन होता है इसलिये वादी मौका के अनुसार खाला दर्ज /निरस्त करवा पाने का अधिकारी है।

अतः वादी रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 291/39 के प0न0 381/444(82) किला न0 18/2 मिन पश्चिम में कोई खाला वर्तमाान में नही चल रहा है को निरस्त करवाने एवं किला न0 23/2 मिन पश्चिम दिशा में कोई खाला नही चल रहा है बल्की किला न0 23/2 के मिन दक्षिण की तरफ खाला चल रहा है इसलिये किला न0 23 मिन में पश्चिम की तरफ के स्थान पर दक्षिण की तरफ मात्र नक्शा में संशोधन करवा पाने का अधिकारी है ।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी की भूमि में किला न0 18/2 में खाला नही है को निरस्त किया जावे एवं किला न0 23/2 में पश्चिम के स्थान पर दक्षिण दिशा अंकित की जावे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की रोही मौजा चक 16 डीपीएन के प0न0 381/444(82) किला न0 18/2 में किसी प्रकार का खाला नही होने कारण राजस्व रिकार्ड से खाला निरस्त किया जाकर वादी के नाम मुमकिन दर्ज की जावे एवं किला न0 23/2 मिन पश्चिम में खाला के स्थान पर किला न0 23/2 मिन दक्षिण में खाला संशोधन करने के आदेश फरमावे। वादी का वाद डिक्री फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 से अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भादरा ने अपने पत्रांक 5884 दिनांक 03.03.2022 के द्वारा अवगत करवाया गया की रोही मोजा चक 16 डीपीएन के प0न0 381/444 के किला न0 1 ता 5 व 5 ता 18 ,तक सीएडी चक स्कीम के अनुसार कोई खाला दर्ज नही है किला न0 23 के दक्षिण साईड में खाला चालू अवस्था में है एव पक्का खाला निर्माण है।

प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की राजस्व रिकार्ड में किला न0 18/2 ,23/2 दोनो में 0.0250हैक गैर मुमकिन खाला दर्ज है जो किला न0 18 व 23 के पश्चिम दिशा में है तथा किला न0 18/2 में मौक पर खाला नही है तथा किला न0 23/2 के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम पक्का खाला बना हुआ है व मौके पर चालू है अन्य किसी प्रकार का स्थगन या विवाद नही है राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 291/39 की कुल 0.5320हैक आवासीय भूमि वादीया सुमन बाला पत्नी विनोद कुमार के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि के प0न0 381/444(82) के किला न0 13/1 की 0.0620हैक आवासीय 18/1 की कुल 0.2280हैक आवासीय , 18/2 की 0.0250हैक गै0मु0खाला किला न0 23/1 की 0.2280हैक आवासीय 23/2 की 0.0250हैक गै0मु0खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है इसप्रकार उक्त आवासीय रूपान्तरित भूमि में किला न0 18/2 व 23/2 में पश्चित की तरफ गै0मु0 खाला दर्ज है।

नये चक प्लान के अनुसार किला न0 23 मिन दक्षिण में से होकर खाला गुजरता है तथा किला न0 18/2 की भूमि में कोई खाला नही है चकप्लान में किला न0 18/2 में खाला का परिर्वतन किया जा चुका है वर्तमान में वादी की भूमि में से किला न0 23/2 दक्षिण की तरफ खाला चल रहा है।

वादी ने वाद भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 16.05.2019 को रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 186/152 के प0न0 381/444(82) के किला न0 13/1 की 0.026हैक , किला न0 18/0.228हैक नहरी व 0.025हैक गै0मु0खाला , किला न0 23 की 0.228 ,0.025हैक कुल 0.532हैक भूमि खरीद की गई थी अर्थात किला न0 18 की 0.026 है भूमि भी जरिये बैयनामा खरीद की गई थी।

वादी ने अपनी खरीदशुद्वा भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन होने के बाद अपनी कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ सपरिर्वतन करवाने का प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष पेश किया गया था तथा नियमानुसार प्रार्थी की उक्त खरीदशुद्वा भूमि को आवासीय में सपंरिर्वतन भी किया गया था केवल किला न0 18 की 0.026हैक भूमि जो राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन दर्ज थी का सपरिर्वतन नही हो सका था इसलिये वादी ने अपनी खरीदशुद्वा भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम मुमकिन करवाने के लिये वाद पेश किया गया है।

वादी वाद भूमि के किला न0 18 की 0.026हैक भूमि का खरीदशुद्वा खातेदार काश्तकार है जिसकी राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की गई स्टाम्प डयूटी नियमानुसार जमा करवाई जा चुकी है।

वादी के द्वारा अपनी कृषि भूमि को आवासीय में परिर्वतन करवाने के बाद किला न0 18 की भूमि से उसके हक समाप्त नही हो जाते हे वादी अपनी खरीद शुद्वा भूमि जिसमें रिवाईज चक स्कीम के अनुसार खाता स्वीकृत नही है जो तहसीलदार एव अधिशाषी अभिन्ता जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट से साबित है इसलिये वादी अपने हक हिस्सा की भूमि किला न0 18 की 0.026हैक को गैर मुमकिन से मुमकिन अपने नाम दर्ज करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के बाद अकृषि में परिर्वतन करवाने का अधिकारी है।

रिवाईज्ड चक प्लान के अनुसार रोही मोजा चक 16 डीपीएन के प0न0 381/444(82) किला न0 18/2 में कोई खाला वर्तमान में नही चल रहा है एव किला न0 23/2 पश्चिम दिशा में खाला दर्ज है जबकि वर्तमान में किला न0 23/2 की दक्षिण दिशा में खाला चल रहा है किन्तु

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मौका के अनुसार खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिससे वादी के हको का हनन होता है इसलिये वादी मौका के अनुसार खाला दर्ज /निरस्त करवा पाने का अधिकारी है।

अतः वादी रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 291/39 के प0न0 381/444(82) किला न0 18/2 मिन पश्चिम में कोई खाला वर्तमान में नही चल रहा है को निरस्त करवाने एवं किला न0 23/2 मिन पश्चिम दिशा में कोई खाला नही चल रहा है बल्की किला न0 23/2 के मिन दक्षिण की तरफ खाला चल रहा है इसलिये किला न0 23 मिन में पश्चिम की तरफ के स्थान पर दक्षिण की तरफ मात्र नक्शा में संशोधन करवा पाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे व अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 2010 पेज संख्या 798 प्रकरण सरकार बनाम राजपाल आदि पेश की गई

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने एवं सिचाई विभाग के जबाब व पटवारी हल्का की मोका रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की गैर मुमकिन खाला निरस्त /दिशा संशोधन राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 291/39 के प0न0 381/444(82) के किला न0 13/1 की 0.0620हैक आवासीय 18/1 की कुल 0.2280हैक आवासीय , 18/2 की 0.0250हैक गै0मु0खाला किला न0 23/1 की 0.2280हैक आवासीय 23/2 की 0.0250हैक गै0मु0खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है इसप्रकार उक्त आवासीय रूपान्तरित भूमि में किला न0 18/2 व 23/2 में पश्चित की तरफ गै0मु0 खाला दर्ज है।

वादी का कथन है कि रोही मोजा चक 16 डीपीएन के प0न0 388/444(82) किला न0 18/2 की 0.025हैक भूमि गै0मु0खाला दर्ज है सिचाई विभाग की रिवाईजड चक स्कीम में किला न0 18/2 में मौका पर कोई खाला नही है इसीप्रकार किला न0 23/2 मिन पश्चिम में गै0मु0खाला दर्ज है जबकि किला न0 23 मिन के पश्चिम के स्थान पर दक्षिण में खाला है इसलिये किला न0 18/2 में गैर मुमकिन खाला निरस्त किया जावे एवं किला न0 23/2 में पश्चिम दिशा के स्थान पर दक्षिण दिशा की जावे।

अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भादरा की रिपोर्टः/जबाब के अनुसार प0न0 381/444 के किला न0 1 ता 5 व 5 ता 18 ,तक सीएडी चक स्कीम के अनुसार कोई खाला दर्ज नही है किला न0 23 के दक्षिण साईड में खाला चालू अवस्था में है एव पक्का खाला निर्माण है।

पेरोकार राज ने द्वारा प्रस्तुत मोका रिपोर्ट के अनुसार किला न0 18/2 ,23/2 दोनो में 0.0250हैक गैर मुमकिन खाला दर्ज है जो कि किला न0 18 व 23 के पश्चिम दिशा में है तथा किला न0 18 में मौका पर खाला नही है व किला न0 23/2 के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम पक्का खाला बना हुआ है

अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं पेरोकार राज के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट वादी के कथनों की पुष्टि करती है कि प0न0 388/444(82) के किला न0 18/2 में मौका पर कोई खाला नही है ना ही स्वीकृत है केवल पूर्व चकस्कीम के अनुसार खाला दर्ज है रिवाइज्ड चकस्कीम के अनुसार मौका पर खाला नही है इसीप्रकार किला न0 23/2 में मौका पर खाला पश्चिम दिशा के स्थान पर दक्षिण दिशा में चल रहा है।

अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भादरा व पेरोकार राज की मौका रिपोर्ट के अनुसार किला न0 18 में खाला स्वीकृत नही है ना ही मौका पर चालू है केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में पूर्व सिचाई स्कीम के अनुसार दर्ज है जिसका उपयोग वर्तमान में नही है।

पेरोकार राज के कथनानुसार राज्यहकों को सुरक्षित रखने के लिये वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार किला न0 18/2 की 0.025हैक गै0मु0खाला निरस्त होता है इसलिये राज्यहको की सुरक्षा हेतु गैर मुमकिन खाला 0.025हैक का आरक्षित मुल्य राजकोष में जमा करवाया जाना उचित है।

वादी के द्वारा प्ररतुत बैयनामा के अनुसार वादी ने रोही मोजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 186/152 के प0न0 381/444(82) के किला न0 13/1 की 0.026हैक किला न0 18 की 0.228हैक नहरी एव 0.026है गै0मु0खाला , किला न0 23 की 0.228हैक नहरी 0.025हैक खाला जरिये बैयनामा खरीदशुद्वा भूमि है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के द्वारा प्रस्तुत बैयनामा से पूर्णत्या साबित है वादी ने किला न0 18 की 0.026हैक 23/0.025हैक जो राजस्व रिकार्ड में गै0मु0खाला दर्ज है को अन्य भूमि के साथ स्टाम्प डयूटी जमा करवाई जाकर खरीद की गई है जिससे वादी का किला न0 18 की 0.026हैक 23 की 0.025हैक भूमि पर पूर्णत्या हक साबित है।

वादी ने अपनी खरीद की गई भूमि के किला न0 23 की 0.025हैक भूमि में वर्तमान खाला स्वीकृत होने एव मौका पर चलने के कारण केवल खाला चलने की दिशा का अनुतोष चाहा गया है तथा किला न0 18 की 0.026हैक भूमि में वर्तमान में किसी प्रकार का खाला नही स्वीकृत नही होने एव मौका पर नही चलने के कारण गैर मुमकिन खाला की भूमि को मुमकिन का अनुतोष चाहा है जो मौका अनुसार न्यायोचित भी प्रतीत होता है।

वादी वाद भूमि जरिये बैयनामा खरीद करने के पश्चात कृषि भूमि को आवासीय में सपंरिर्वतन करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे नियमानुसार वादी की कृषि भूमि का अकृषि में परिर्वतन किया गया है जो प्रस्तुत सपरिर्वतन आदेश से साबित है।

वादी की किला न0 18 की 0.026हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन होने के कारण सपरिर्वतन नही किया गया था यदि उक्त भूमि के सम्बध में वादी सपरिर्वतन के करवाये जाने से पूर्व हस्तगत वाद प्रस्तुत कर अपने हकों की धोषणा करवाकर वाद भूमि का भी सपरिर्वतन करवाने का अधिकारी था।

पूर्व में अपनी खरीद की गई कृषि भूमि को आवासीय में परिर्वतन करवाने से शेष किला न0 18 की 0.026हैक भूमि से वादी के हक समाप्त नही होते है वह अब भी अपने हकों की धोषणा करवाकर नियमानुसार संपरिर्वतन हेतु आवेदन कर सकता है।

पेरोकार राज का कथन उचित प्रतीत होता है कि किला न0 18 की 0.026हैक भूमि को गैर मुमकिन से मुमकिन करने के लिये आरक्षित मुल्य जमा करवाया जा सकता है वादी के द्वारा शेष भूमि को अकृषि (आवासीय प्रयोजनार्थ) सपरिर्वतन करवाया जा चुका है इसलिये राज्यहको की सुरक्षा हेतु वादी से किला न0 18 की 0.026हैक भूमि का डीएलसी का मुल्य जमा करवाया जाकर मुमकिन किया जा सकता है जो वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी पेज 798 वादी के प्रकरण पर पूर्णत्या चस्पा होती है

वादी के कथनो की पुष्टि सम्बधित विभाग अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं पेरोकार राज के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मौका रिपोर्ट से होने के कारण वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एव न्यायिक दृष्टान्तो के मध्यनजर वाद वादी साबित होने के काबिल डिक्री है।

उक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद की पुष्टि अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं पेरोकार राज के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार होने के कारण वाद का वाद साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 291/39 के प0न0 381/444 (82) के किला न0 23/2 की पश्चिम दिशा में खाला के स्थान पर दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम चलने के कारण किला न0 23/2 में दर्ज खाला की दिशा पश्चित के स्थान पर दक्षिण मे पूर्व से पश्चिम संशोधन की जाती है तथा किला न0 18/2 की 0.025हैक खाला नही चलने /होने के कारण 0.025हैक खाला की भूमि की डीएलसी दर रू (11955/रूपये) जमा करवाने पर किला न0 18 की 0.025हैक गै0मु0 खाला की भूमि वादी के खाते में मुमकिन दर्ज की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तथा प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि दो माह में किला न0 18/2 की 0.025हैक भूमि को आवासीय में सपंरिर्वतन करवाने का प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट ....

उपखण्ड अधिकारी
नोहर